तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **महेन्द्र सिंह भाटी बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 20 / 2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15 / 07 / 2024	अपीलार्थी महेन्द्र सिंह भाटी निवासी भाटी चौराहा, मगरा पूंजला, मण्डोर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2023 में उनके द्वारा रामतलाई नाडी चैनपुरा मगरा पूंजला जोधपुर की भराव क्षमता की प्रतियां एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 1630 दिनांक 14.03.2024 को बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उनके कार्यालय से संबधित न होकर तहसीलदार जोधपुर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को जरिये पत्रांक 1417 दिनांक 10.01.2024 से अंतरित की गई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) के स्तर से अपेक्षित नही होकर लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) के स्तर पर लंबित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे अन्यथा नही दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज.	